

महत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता  
संख्या- 24 / 43-2-2014-15 / 2(3) / 2006टीसी-4

प्रेषक,

भवेश रंजन,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०  
ऐशबाग, लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक ०८ जनवरी, 2014

विषय:- उ०प्र० राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के 08 पदों पर नियुक्ति हेतु निर्गत अधिसूचना/नियुक्ति के प्रकाशन के संबंध में।  
महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित निर्गत अधिसूचनाओं की प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश है कि कि कृपया उक्त आठों अधिसूचनाओं की हिन्दी/अंग्रेजी प्रति को तत्काल मुद्रित कराकर उसकी 500-500 मुद्रित प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

- 1-अधिसूचना संख्या-01 / 43-2-2014-15 / 2(3) / 2006 टीसी-4, दि० 06-01-2014
- 2-अधिसूचना संख्या-02 / 43-2-2014-15 / 2(3) / 2006 टीसी-4, दि० 06-01-2014
- 3-अधिसूचना संख्या-03 / 43-2-2014-15 / 2(3) / 2006 टीसी-4, दि० 06-01-2014
- 4-अधिसूचना संख्या-04 / 43-2-2014-15 / 2(3) / 2006 टीसी-4, दि० 06-01-2014
- 5-अधिसूचना संख्या-05 / 43-2-2014-15 / 2(3) / 2006 टीसी-4, दि० 06-01-2014
- 6-अधिसूचना संख्या-06 / 43-2-2014-15 / 2(3) / 2006 टीसी-4, दि० 06-01-2014
- 7-अधिसूचना संख्या-07 / 43-2-2014-15 / 2(3) / 2006 टीसी-4, दि० 06-01-2014
- 8-अधिसूचना संख्या-08 / 43-2-2014-15 / 2(3) / 2006 टीसी-4, दि० 06-01-2014

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


( भवेश रंजन )  
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- संयुक्त सचिव/उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3-  संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश को वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु।
- 4- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,



( भवेश रंजन )

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2  
संख्या- 01/43-2-2014-15/2(3)/2006 टीसी-4  
लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2014

अधिसूचना/नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)/2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री अरविन्द सिंह बिष्ट पुत्र स्व0 बृकोदर बिष्ट, निवासी-31 गुलिस्तों कालोनी, लखनऊ-226001 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिसूचना की धारा-16(2) एवं संगत धाराओं के अधीन सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


जावेद उस्मानी  
मुख्य सचिव।

संख्या- 01 (1)/43-2-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा0 मुख्यमंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 14- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
- 17- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,



( राकेश कुमार )  
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2  
संख्या- 02/43-2-2014-15/2(3)/2006.टीसी-4  
लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2014

अधिसूचना/नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)/2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी पुत्र श्री एस0एम0 अब्बास, निवासी-390/29/5 न्यू माडल कालोनी, रूस्तमनगर लखनऊ-226003 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिसूचना की धारा-16(2) एवं संगत धाराओं के अधीन सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


जावेद उस्मानी  
मुख्य सचिव।

संख्या- 02 (1)/43-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा0 मुख्यमंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 14- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
- 17- गार्ड फत्रावली।

आज्ञा से,

  
( राकेश कुमार )  
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

संख्या- 03/43-2-2014-15/2(3)/2006 टीसी-4

लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2014

अधिसूचना / नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)/2003 टीसी-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री पारस नाथ गुप्ता पुत्र स्व० माता प्रसाद निवासी-म० न० 173 पटेल नगर, इन्दिरा नगर, सेक्टर-8 लखनऊ-226016 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिसूचना की धारा-16(2) एवं संगत धाराओं के अधीन, सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

जावेद उस्मानी


मुख्य सचिव।

संख्या- 03 (1)/43-2-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- ग० मुख्यमंत्री, समस्त मा० मंत्रियों तथा मा० राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 14- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ० प्र० लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ० प्र०।
- 17- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,



( राकेश कुमार )

संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2  
संख्या- 04/43-2-2014-15/2(3)/2006 टीसी-4  
लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2014

अधिसूचना / नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)/2003 टीसी-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री स्वदेश कुमार पुत्र श्री अजय कुमार निवासी-सरस्वती भवन आई-7 विपुल खण्ड-6, गोमतीनगर लखनऊ-226010 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिसूचना की धारा-16(2) एवं संगत धाराओं के अधीन सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


जावेद उस्मानी  
मुख्य सचिव।

संख्या-04 (1)/43-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा० मुख्यमंत्री, समस्त मा० मंत्रियों तथा मा० राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 14- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र०।
- 17- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,



( राकेश कुमार )  
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2  
संख्या- 05/43-2-2014-15/2(3)/2006 टीसी-4  
लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2014

अधिसूचना/नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)/2003 टीसी-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री विजय शंकर शर्मा पुत्र स्व० भगवान दास शर्मा निवासी- 4/4 डालीबाग, आफिसर्स कालोनी, लखनऊ-226001 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिसूचना की धारा-16(2) एवं संगत धाराओं के अधीन सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

जावेद उस्मानी  
मुख्य सचिव।

संख्या- 05(1)/43-2-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा० मुख्यमंत्री, समस्त मा० मंत्रियों तथा मा० राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 14- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र०।
- 17- गार्ड फ़ावली।

आज्ञा से,



( राकेश कुमार )  
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2  
संख्या- 06/43-2-2014-15/2(3)/2006 टीसी-4  
लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2014

अधिसूचना / नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)/2003 टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री हाफिज उस्मान पुत्र श्री अली मोहम्मद निवासी-आर/129, नेहरू इनक्लेब, गोमती नगर लखनऊ-226010 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिसूचना की धारा-16(2) एवं संगत धाराओं के अधीन सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


जावेद उस्मानी  
मुख्य सचिव।

संख्या- 06 (1)/43-2-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा0 मुख्यमंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 14- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
- 17- गार्ड फत्रावली।

आज्ञा से,



( राकेश कुमार )  
संयुक्त सचिव।



उत्तर प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2  
संख्या- 07/43-2-2014-15/2(3)/2006 टीसी-4  
लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2014

अधिसूचना / नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)/2003 टीसी-0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री राजकेश्वर सिंह पुत्र श्री राम अजोर सिंह निवासी- 3/160 विराज खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिसूचना की धारा-16(2) एवं संगत धाराओं के अधीन सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


जावेद उस्मानी  
मुख्य सचिव।

संख्या-07 (1)/43-2-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा0 मुख्यमंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 14- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
- 17- गार्ड फ़ावली।

आज्ञा से,

  
( राजेश कुमार )  
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2  
संख्या- 08/43-2-2014-15/2(3)/2006 टीसी-4  
लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2014

अधिसूचना/नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)/2003 टीसी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री गजेन्द्र यादव पुत्र श्री बी0आर0यादव निवासी-फ्लैट न0 804 टावर न0-2 लोटस बुलेवर्ड सेक्टर-100 नौयडा, जनपद गोतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश, पिन-201301 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिसूचना की धारा-16(2) एवं संगत धाराओं के अधीन सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।


राज्यपाल की आज्ञा से,

जावेद उस्मानी  
मुख्य सचिव।

संख्या- 08 (1)/43-2-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2- मा0 मुख्यमंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
- 3- संबंधित अधिकारी।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
- 13- सचिव, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 14- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
- 17- गार्ड फ़ावली।

आज्ञा से,  
  
( राकेश कुमार )  
संयुक्त सचिव।